



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228597
CG-DL-E-30072021-228597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827]
No. 2827]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3049(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 717, तारीख 17.02.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 17.02.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH No. 752C के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 53+600 तक (जीरापुर से पचोर-रोड) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "दैनिक फिर स्वराज" में मंगलवार 09 मार्च 2021 और "प्रदेश टाइम्स" में मंगलवार 09 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राजमार्ग संख्या NH-752-C के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 53+600 तक जीरापुर से पचोर-रोड के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: राजगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जीरापुर				
	गांव का नाम: मोहन				
1	133	निजी	इरिगेटेड	0.024	लालकुंवर बेवा मोतीसिंह मनोहरसिंह नेपालसिंह पि . मोतीसिंह जाती राजपूत (133/१)
2	133	निजी	इरिगेटेड	0.076	कैलाश कुंवर गोवरधन सिंह बालूसिंह , राजेन्द्रसिंह पिता गोवरधनसिंह जाती राजपूत (133/२)
3	134	निजी	इरिगेटेड	0.038	कैलाश कुंवर बेवा गोरधनसिंह , बालूसिंह राजेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह जाती राजपूत (१३४)
4	135	निजी	इरिगेटेड	0.006	कैलाश कुंवर बेवा गोरधन सिंह बालूसिंह राजेंद्र सिंह पिता गोरधन सिंह जाती राजपूत

					(१३५)
5	68	निजी	इरिगेटेड	0.021	बालूसिंह होशयारसिंह पिता शिवसिंह जाती राजपूत (६८)
6	685	निजी	इरिगेटेड	0.014	गुलाब कुंवर पति भवरलाल जाती राजपूत (685/1/२)
7	688	निजी	इरिगेटेड	0.004	चम्पालाल किशनलाल राधेलाल पिता कनीराम जाती लोधी (688/१)
8	689	निजी	इरिगेटेड	0.007	मोतीलाल पिता प्रताप जाती लोधी (689/1/2/६)
9	69	निजी	इरिगेटेड	0.445	बालूसिंह होशयारसिंह पिता शिवसिंह राजकुंवर बेवा शिवसिंह जाती राजपूत (६९)
10	70	निजी	इरिगेटेड	0.128	बालूसिंह होशयारसिंह पिता शिवसिंह राजकुंवर बेवा शिवसिंह जाती राजपूत (७०)
11	71	निजी	इरिगेटेड	0.07	जगन्नाथ सिंह पिता डूंगरसिंह जाती राजपूत (71/1/१)
12	71	निजी	इरिगेटेड	0.01	गोविन्द सिंह पिता डूंगरसिंह जाती राजपूत (71/1/२)
13	72	निजी	इरिगेटेड	0.016	जगन्नाथ सिंह पिता डूंगरसिंह जाती राजपूत (72/1/१)
14	72	निजी	इरिगेटेड	0.037	गोविन्द सिंह पिता डूंगरसिंह जाती राजपूत (72/1/२)
15	72	निजी	इरिगेटेड	0.04	रामवीर सिंह पिता गोविन्द सिंह जाती राजपूत (72/2/१)
16	73	निजी	इरिगेटेड	0.078	जगन्नाथ सिंह पिता डूंगरसिंह जाती राजपूत (73/1/१)
17	77	निजी	इरिगेटेड	0.006	मनोहरसिंह पिता रूपसिंह जाती राजपूत (77/४)

18	77	निजी	इरिगेटेड	0.055	भारतसिंह पिता रूपसिंह जाती राजपूत (77/६)
			कुल	1.075	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/45/2018-19/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3049(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 717 dated 17.02.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-752C on the stretch of land from **Km. 0+000 to 53+600 K.m. in Jirapur to Pachore Road** in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Dainik Fir Swaraj” 09 March 2021 Tuesday; And "Pradesh times" 09 March 2021 Tuesday;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 1

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 0+000 to 53+600 km. (Jirapur to Pachore-Road) Of the NH No. 752C in the district of Rajgarh in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jirapur				
	Village: Mohan				
1	133	Private	irrigated	0.024	Lalkuwar Beva Motisingh Manoharsingh Nepalsingh Pi . Motisingh Jati Rajput 133/1
2	133	Private	irrigated	0.076	Kailash Kuwar Govardhan Singh Valusingh , Rajendrasingh Pita Govardhansingh Jati Rajput 133/2
3	134	Private	irrigated	0.038	Kailash Kuwar Beba Gordhansingh , Valusingh Rajendrasingh Pita Gordhansingh Jati Rajput 134
4	135	Private	irrigated	0.006	Kailash Kuwar Beva Gordhan Singh Balusingh Rajendra Singh Pita Gordhan singh Jati Rajput 135
5	68	Private	irrigated	0.021	Balusingh Hoshyarsingh Pita Shivsingh Jati Rajput 68
6	685	Private	irrigated	0.014	Gulab Kuwar Pati Bhawarlal Jati Rajput 685/1/2
7	688	Private	irrigated	0.004	Champalal Kishanlal Radhelal Pita Kaniram Jati Lodhi 688/1
8	689	Private	irrigated	0.007	Motilal Pita Pratap Jati Lodhi 689/1/2/6
9	69	Private	irrigated	0.445	Balusingh Hoshyarsingh Pita Shivsingh Rajkuwar Beva Shivsingh jati Rajput 69
10	70	Private	irrigated	0.128	Balusingh Hoshyarsingh Pita Shivsingh Rajkuwar Beva Shivsingh Jati Rajput 70
11	71	Private	irrigated	0.07	Jagannath Singh Pita Dungarsingh Jati Rajput 71/1/1
12	71	Private	irrigated	0.01	Govind singh Pita Dungarsingh Jati Rajput 71/1/2

13	72	Private	irrigated	0.016	Jagannath Singh Pita Dungarsingh Jati Rajput 72/1/1
14	72	Private	irrigated	0.037	Govind Singh Pita Dungarsingh Jati Rajput 72/1/2
15	72	Private	irrigated	0.04	Ramvir Singh Pita Govind Singh Jati Rajput 72/2/1
16	73	Private	irrigated	0.078	Jagannath Singh Pita Dungarsingh Jati Rajput 73/1/1
17	77	Private	irrigated	0.006	Manoharsingh Pita Rupsingh Jati Rajput 77/4
18	77	Private	irrigated	0.055	Bharatsingh Pita Rupsingh Jati Rajput 77/6
			TOTAL	1.075	

[F. No. CE-RO BPL/30010/45/2018-19/3D]

RAJESH GUPTA, Director